www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

सामाहिक

खण्ड 37 अंक 51 पृष्ठ 72 | नई दिल्ली 23-29 मार्च 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

प्रसार भारती

● कार्यक्रम अधिशासी और प्रसारण अधिशासी के पद के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा-2013 की अधिसूचना जारी
अनुमानित रिक्तियां: 1166
अंतिम तिथि: 19.04.2013

लो.से.आ. उत्तर प्रदेश

● लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा-2013 तथा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा विकलांग जन हेतु (बैकलाग/विशेष) चयन परीक्षा-2013 की अधिसूचना जारी
अंतिम तिथि: 25 अप्रैल 2013

कर्मचारी चयन आयोग

● कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालयों में) और हिन्दी प्राध्यापक (केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान) आदि परीक्षा, 2013 अधिसूचित
अंतिम तिथि: 19.04.2013

सेल

● स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 640 प्रबंधन प्रशिक्षु (तकनीकी) या प्रबंधन प्रशिक्षु (प्रशासन) के लिए आवदेन आमंत्रित
अंतिम तिथि: 03.04.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

[सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के नए पाठ्यक्रम के संबंध में प्रकाशित होने वाले दो लेखों की श्रृंखला में यह पहला लेख है. यह पाठ्यक्रम हाल ही में हुए बदलावों का पूरा परिदृश्य प्रस्तुत करता है. दूसरे और अंतिम लेख में सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम पर विश्लेषण होगा तथा यह बताया जाएगा कि विभिन्न दृष्टिकोणों से कैसे इसे पढ़ा जाए.]

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में बदलाव: आशय और विश्लेषण

—एस.बी.सिंह

प्रतिष्ठित सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में काफी समय से इंतज़ार किए जा रहे बदलावों को आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने अधिसूचित कर दिया है. हालांकि इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है. यह बदलाव अपेक्षित और अनपेक्षित दोनों हैं . पहली बार में देखा जाए तो यह बदलाव मूलभूत महसूस होते हैं लेकिन ध्यान से समझा जाए तो यह न ही मूलभूत नज़र आते हैं और न ही मुकम्मल. इन बदलावों को वास्तव में जानने के लिए व्यक्ति को इस परीक्षा के सभी आयामों को सही से जानकर, तब इन बदलावों के महत्व समझना चाहिए.

बदलाव की ज़रूरत

विज्ञापित नौकरियों के लिए सही उम्मीदवारों की भर्ती हेतु पाठ्यक्रम और पद्धितयों के संदर्भ में किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा की खासी अहमियत है, में बदलाव होते रहते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव सिविल सेवा की परीक्षा में इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि इस सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षा को शीर्ष नौकरशाही की भर्ती के लिहाज़ से तैयार किया जाता है. इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंग्रेज़ों के समय से शुरू हुई सिविल सेवा परीक्षा में कई नाटकीय बदलाव हुए हैं. ऐतिहासिक रूप से समझा जाए तो सिविल सेवा समर्थकों को नियुक्त करने संबंधी प्रणाली (पेट्रोनेज सिस्टम) पर आधारित थी जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक अपने खुद के उम्मीदवारों को मनोनीत करते थे, जिन्हें इंग्लैंड के हेलीबरी कॉलेज में सख्त प्रशिक्षण दिया जाता था. क्रिमिआ युद्ध, 1853 में अंग्रेज़ों की हार के बाद इस प्रणाली की कड़ी आलोचना की गई. नॉर्थकोट टैवलियन रिपोर्ट 1854 में अपने समर्थकों को नियुक्त करने संबंधी प्रणाली (पेट्रोनेज सिस्टम) को समाप्त करने और देश सिविल सेवा तथा विदेश सिविल सेवा दोनों में, भर्ती के संबंध में सभी को अवसर देते हुए इसे पूरी तरह योग्यता के आधार पर शुरू करने की सिफारिश की गई. लॉर्ड मैकाले को परीक्षा की नई योजना तैयार करने का ज़िम्मा दिया गया. उन्होंने 15 अनिवार्य विषयों के साथ काफी मुश्किल पाठ्यक्रम बनाया. हालांकि उस दौरान साक्षात्कार परीक्षा नहीं होती थी, मैकाले ने तर्क दिया कि लिखित परीक्षा, उम्मीदवार की मानसिक क्षमता सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्थ है, इसलिए इसमें अलग से साक्षात्कार परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं हैं.

हालांकि 1917 में लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार परीक्षा जोड़ी गई . लिखित परीक्षा में अनिवार्य प्रश्नपत्र (यानी अंग्रेज़ी, निबंध, सामान्य ज्ञान) और विश्वविद्यालय में पढ़ाए गए परंपरागत प्रकार के वैकल्पिक प्रश्नपत्र शामिल थे.

भारत की स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उम्मीदवारों के पहले बैच ने सिविल सेवा परीक्षा अनिवार्य प्रश्नपत्र, वैकल्पिक प्रश्नपत्र और साक्षात्कार परीक्षा पहले के प्रारूप के अनुसार दी थी. 1952 में वैकल्पिक प्रश्नपत्र में बदलाव किया गया. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय विदेशी सेवा (आईएफएस) की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को दो अतिरिक्त वैकल्पिक प्रश्नपत्र चुनने होते थे, जिसे लोअर प्रश्नपत्र कहा जाता था. साथ ही, साक्षात्कार परीक्षा के अंक 300 से बढ़ाकर 400 किए गए. 1952 और 1979 के बीच सिविल सेवा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का था:

- अनिवार्य विषय: 450 अंक
- वैकल्पिक प्रश्नपत्र: 1000 अंक (दो हायर प्रश्नपत्र समेत)
- साक्षात्कार: 400 अंक

डी.एस.कोठारी रिपोर्ट: 1979 में कोठारी समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए:

- सभी तरह की सिविल सेवाओं के लिए सामान्य परीक्षा.
- परीक्षा देने का माध्यम अंग्रेज़ी या 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भी भाषा.
- अंग्रेजी का एक प्रश्नपत्र जिसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य था.
- भारतीय भाषा का एक प्रश्नपत्र, जिसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य था (पूर्वोत्तर के उम्मीदवारों को इससे छूट)
- निबंध प्रश्नपत्र समाप्त.
- सामान्य अध्ययन की एक अनिवार्य प्रश्नपत्र के तौर पर शुरूआत.
- साक्षात्कार अंक: 250

(शेष पृष्ठ 72 पर)

साक्षात्कार में कैसे सफल होवें

—आर. नटराज, आईपीएस, अध्यक्ष, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग

हमेशा केवल एक बार में ही किसी चीज़ को पाने की धुन पर सवार रहना, सही नहीं है. बार-बार कोशिश, थोड़ा ठहराव और छोटी-छोटी चीज़ों पर मेहनत करके उसे हासिल किया जाना चाहिए. वाकई में! सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिहाज़ से यह बात बिल्कुल उपयुक्त है.

किसी भी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा को मिलाकर दो चरण होते हैं. इन दिनों इतने अधिक योग्य युवा हैं कि एक भर्ती की घोषणा करने पर उसके लिए हज़ारों आवेदन मिल जाते हैं. उस नौकरी के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने का एकमात्र तरीका है कि पहले चरण में लिखित परीक्षा में छंटनी की जाए और फिर दूसरे चरण में साक्षात्कार लिया जाए. नियोक्ता और उम्मीदवार दोनों के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण चरण है चूंकि इसमें काफी ज्यादा विशेषज्ञता शामिल है. इसलिए निजी क्षेत्र की कंपनियां उपयुक्त व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित मानव संसाधन (एचआर) एजेंसियों को यह काम सौंपती हैं. सरकारी पदों को भरने की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से गठित संस्थाएं, लोक सेवा आयोगों की है.

साक्षात्कार में परीक्षा, केवल साक्षात्कार देने वाली की ही नहीं होती, बल्कि साक्षात्कार लेने वाले की भी होती है. नौकरी (कार्य) का स्वरूप तथा उसके लिए अपेक्षित योग्यता को देखते हुए उम्मीदवारों से समझदारी के सवाल पूछे जाने चाहिए ताकि उनमें से सबसे उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढा जा सके.

सबसे पहले नौकरी के लिए अपेक्षित कार्य, उसके स्वरूप, साक्षात्कार के लिए बुलाने वाली कंपनी या विभाग के बारे में जानना चाहिए. नौकरी के लिहाज़ तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को आंकना चाहिए.

हर किसी को अपने गुणों और कमियों का विश्लेषण करना चाहिए. अनेक लोग ऐसा नहीं करते और साक्षात्कार में असफल हो जाते हैं. हर व्यक्ति खास होता है और उसमें एक खूबी छिपी होती है. साक्षात्कार लेने वाला ऐसे गुणों को देखता है जो उसके संगठन के लिए लाभकारी हों, तो व्यक्ति को साक्षात्कार के दौरान अपने ऐसे गुणों को दिखाने की तैयारी करनी चाहिए. साक्षात्कारकर्ता के लिए व्यक्ति में ज्ञान संबंधी हुनर के अलावा दूसरी प्रतिभाओं को पहचानना एक महत्वपूर्ण और मुश्किल काम होता है इसलिए उम्मीदवार द्वारा खुद इसमें मदद किए जाने पर वो और अधिक प्रभावित होता है.

पहली और सबसे ज़रूरी बात कि उम्मीदवार को साक्षात्कार की जगह के बारे में पता होना चाहिए. यह थोड़ा अटपटा लग रहा हो लेकिन अनेक उम्मीदवार ट्रैफिक में फंस जाते हैं और साक्षात्कार के लिए देर से पहुंचते हैं जो दूसरों पर काफी बुरा प्रभाव डालता है. सबसे बेहतर तरीका है कि व्यक्ति सरसरी तौर पर एक दिन पहले ही उस जगह को देख आए ताकि आखिरी मिनट की भागादौड़ी से बचा जा सके.

आपके कपड़े भी अक्सर काफी कुछ बयान करते हैं. तो हम क्या पहनते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है. किसी नौकरी के लिए साक्षात्कार देते समय पूरी बाजू की कमीज़ के साथ टाई पहननी चाहिए. साफ-सुथरे कपड़े बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं. पहली बार देखते ही जो राय बन जाती है उसे आसानी से नहीं बदला जा सकता. इसलिए सही से तैयार होकर जाएं. न ज्यादा तड़क-भड़क पहने और न ही बहुत सादे लिबास में जाएं.

जितना हो सके सहज रहें. ज्यादा बढ़ा.चढ़ाकर अपने उच्चारण के तरीके में जानबूझकर बदलाव करके बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह निश्चित रूप से दिखावटी लगेगा. व्यक्ति को पहले जाकर साक्षात्कार लेने वालों को नमस्कार करना चाहिए और उनके कहे जाने पर सीट ग्रहण करनी चाहिए. बहुत ही आराम से और आत्मविश्वास से बैठना चाहिए तथा सवालों के जवाब बहुत आराम से देने चाहिए. यह समझना चाहिए कि उस समय आपके ज्ञान को नहीं परखा जाता बल्कि देखा जाता है कि व्यक्ति उस समय किसी मुद्दे पर हो रही चर्चा को कैसे समझता है और उस पर किस ढंग से अपनी बात रखता है. एक बार फिर से बता दें कि यह सवाल-जवाब का सत्र नहीं है लेकिन सवालों के जरिए एक चर्चा शुरू होती है, तो इसलिए केवल एक शब्द में अपना जवाब न दें. उस मुद्दे से संबंधित जो भी मालूम हो उसे बताना चाहिए.

कोई शंका होने पर हमेशा यह कहना बेहतर होता है कि मुझे मालूम नहीं है. अन्यथा आप मुश्किल में फंस सकते हैं. साथ ही हर सवाल के जवाब में 'नहीं पता' नहीं कहना चाहिए. चतुराई इसी में होती है कि साक्षात्कारकर्ता को उन क्षेत्रों में सवाल पूछने पर विवश कर दिया जाए जिसमें आपको जानकारी हो ताकि आप उनपर अपनी अच्छी छाप छोड़ सकें. एक बात हमेशा याद रखें कि ऐसी किसी बात पर विवादास्पद राय या सबसे अलग मत न रखें जिसे कि प्रभावकारी तरीके से न समझाया जा सके. बेहतर है कि बीच का रास्ता निकाले और सामान्य उत्तर दें. आपको किसी भी बहस में नहीं पड़ना है. चाहे वो मुद्दा कितना ही रोचक क्यों न हो. कुछ साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के साथ बातचीत को जानबूझकर ऐसे विवादास्पद विषय पर ले जाते हैं, जिससे कि यह मालूम हो सके कि उम्मीदवार ऐसी परिस्थितियों में क्या प्रतिक्रिया देता है और कैसे इसे संभालता है. हाजिरजवाबी और आपकी समझदारी को सराहा जाता है लेकिन इसे पूरी नम्रता से ज़ाहिर करना चाहिए.

उम्मीदवार को सवाल पूछने वाले की आंखों में देखते हुए जवाब देना चाहिए. उसी समय में बीच-बीच में से दूसरों की आंखों में भी देखना चाहिए. व्यक्ति को डरते-डरते या नीचे देखकर जवाब नहीं देना चाहिए. जब कोई सवाल पूछा जाता है या साक्षात्कार लेने वाला किसी बात पर चर्चा कर रहा हो तो उसे ध्यान से देखना चाहिए, यह बताने के लिए कि आप एक अच्छे श्रोता हैं. जवाब देते समय किसी समूह समुदाय या व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि आप पूर्वाग्रही हैं. धन्यवाद करने जैसे शिष्टाचार को न भूलें और जाते समय भी दोबारा से उन्हें धन्यवाद करें.

साक्षात्कार देना एक कला है लेकिन इसके लिए चिंतित रहना या बेमतलब का तनाव लेने की बजाए इस अनुभव से मज़ा लेना चाहिए. व्यक्ति को बिना कोई उत्सुकता दिखाए आराम से और स्पष्ट बोलना चाहिए. जवाब देने के लिए थोड़ा सोचने का वक्त लेना चाहिए. जवाब देने में कोई जल्दबाज़ी नहीं दिखानी चाहिए. धैर्य रखें और शांत रहें. गलत आलोचना होने या नकारात्मक राय व्यक्त किए जाने पर भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए.

साक्षात्कार एक संवादात्मक प्रक्रिया है. यह एक शीशे की तरह है. अच्छा प्रदर्शन करने पर उसे पूरी तरह सराहा जाता है. पूरे आत्मविश्वास के साथ और केवल जीतने के उद्देश्य से साक्षात्कार देने जाएं तथा अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं. **'जीतने के लक्ष्य से जाएं'** और जहां तक संभव हो सके अपना बेहतर प्रदर्शन दें तथा सफल होकर आएं !

दूरसंचार क्षेत्र में रोज़गार के अवसर

—अमर सिंह मीणा

विश्व अर्थव्यवस्था का सार्वभौमिकरण, प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से विकास तथा आईसीटी अभिमुखता वर्तमान समाज की मूल विशेषताएं हैं. नई प्रौद्योगिकी विकास ने टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, मल्टीमीडिया, सेवाओं आदि जैसी संचार की विविध सेवाओं की अभिमुखता को समर्थ बना दिया है. उन्हें एकल सूचना अंतरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध बना दिया है. इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवाएं विकसित सूचना समाज में प्रतिदिन के जीवन का एक भाग बन गयी है. दूरसंचार का विकास अब आधुनिक समाज की एक मूल आवश्यकता तथा उसके आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का एक उपाय बन गई हैं.

भारतीय दूरसंचार उद्योग ने 1991 में औद्योगिकीकरण के बाद शानदार विकास देखा है, भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन प्रयोक्ता आधार है, जहां 929 मिलियन से भी अधिक मोबाइल प्रयोक्ता हैं. इसके अपने विकास के साथ भारतीय दूरसंचार उद्योग राष्ट्रीय विकास में अग्रज रहा है.

रोज़गार एवं कौशल अपेक्षाएं

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में अति प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भारतीय दूरसंचार कंपनियां, मांग पर बैंडविड्थ तथा ट्रिपल प्ले सर्विसेस उपलब्ध कराने और आधुनिक 3 जी और 4 जी सेवाएं देने में सक्षम होने के लिए भी नेक्सट जेनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) के अनुरूप अपनी पहुंच एवं कोर नेट वर्क के आधुनिकीकरण में निवेश कर रही हैं.

कुछ विश्लेषकों के अनुसार इस उद्योग के, 26 प्रतिशत से अधिक विकास दर पर इस वर्ष तक 68 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक तक पहुंचने की प्रत्याशा है और यह लगभग 10 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करेगा. विश्लेषकों के अनुसार यह क्षेत्र 2.8 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप में तथा 7 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोज़गार उपलब्ध कराएगा. इस तरह यह क्षेत्र सभी स्तरों पर रोज़गार के व्यापक अवसर देता है.

भारत में ऐसी कई बड़ी दूरसंचार कंपनियां स्थापित हुई हैं, जिन्हें प्रशासन, नेटवर्किंग, ग्राहक, समर्थन, विक्रय, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कुशल तकनीशियनों एवं इंजीनियरों की आवश्यकता होती है. दूर संचार इंजीनियरों, गुणवत्ता विश्लेषकों, नेटवर्किंग एवं परीक्षण, नेटवर्क सुरक्षा प्रशासकों, उत्पाद प्रबंधकों, एम्बैडेड प्रणाली इंजीनियरों आदि जैसे विभिन्न पदों के लिए एलसीआर, बिल्डिंग प्रणाली, कॅरिअर, प्रणाली एकीकरण, मोबाइल, कॉलसेंटर, सीटीआई, इंटरनेट सेवाओं, नेटवर्किंग, पीबीएक्स आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रोज़गार अवसर होते हैं.

सॉफ्टवेयर विकास, नेटवर्किंग या विपणन क्षेत्र के व्यवसायी दूरसंचार क्षेत्र में रोज़गार के अवसर तलाश सकते हैं. दूरसंचार क्षेत्र कंपनियां ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं लेती हैं, जिन्होंने संबंधित दूरसंचार क्षेत्रों में शिक्षा ले रखी हो या कार्य आवश्यकता से जुड़े किसी अन्य तकनीकी या संबंधित पाठ्यक्रम कर रखा हो. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में इंजीनियरी तथा विपणन व्यावसायियों की व्यापक मांग होती है. उनके लिए कार्यों की प्रकृति में टेस्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर या अनुप्रयोग इंजीनियर, उत्पाद प्रबंधक, ग्राहक समर्थक स्टाफ तथा जनसंपर्क एवं सरकारी संपर्क के कार्य शामिल होते हैं.

नियोक्ताओं को प्रायः योग्यताओं और/या डिग्री की तथा उसके बाद नये प्रोग्रामिंग कौशल की, विशेष रूप से नए तथा उन्नत उत्पादों तथा सेवाओं के माध्यम से व्यावसायिक अवसर देने के लिए अपेक्षा होती है.

दूरसंचार उद्योग को तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरों एवं आईटी प्रशिक्षित व्यवसायियों का कार्य शामिल होता है. निरंतर विकसित किए जाने वाले उपकरणों को संस्थापित करने, उत्पादों एवं उनकी प्रणालियों की जांच एवं अनुरक्षण के लिए कुशल आईटी व्यवसायियों की आवश्यकता होती है और चूंकि दूरसंचार लोगों को शीघ्रता से, कुशल एवं विश्वस्त रूप में जोड़ने के लिए होता है, इसलिए प्रौद्योगिकी में प्रगति को अद्वितीय सेवा स्तर तथा समय सीमा के साथ पूरा करना आवश्यक होता है.

दूरसंचार उद्योग के एक तीव्र गति से तथा चिरपरिवर्तनशील क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है, आईटी क्षेत्र के समान होने के कारण सशक्त अभिव्यक्ति एवं एकजुट होकर कार्य करने की क्षमता की तरह ही समस्या समाधान एवं तार्किक सोच होना अनिवार्य है.

दूरसंचार सेवा क्षेत्र में आधारिक संरचना विकास ने भी अनेक रोज़गार अवसर सृजित किए हैं, जिनसे सिविल एवं संरचना इंजीनियरी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों की मांग बढ़ी है. इस समय भारत में तीन प्रकार की टावर कंपनियां हैं. पहले प्रकार की कंपनियों में वे टावर कंपनियां शामिल हैं जो इंडस टावर - जो एयरटेल, वोडाफोन एवं आइडिया द्वारा एक संयुक्त उद्योग उद्यम है, जैसे संयुक्त उद्यमों के माध्यम से बनाई गयी हैं. दूसरे प्रकार की कंपनियों में वे टावर कंपनियां शामिल हैं जो आरकॉम के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस इन्फ्राटेल जैसे कंपनी को अलग करके बनाई गयी हैं. तीसरे प्रकार की टावर कंपनियां जीटीएल जैसी स्वतंत्र टावर कंपनियां (पूर्ण प्ले ऑपरेटर) हैं. अन्य कंपनियों में टावर विजन, एस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर, के.ई.सी. इंटरनेशनल तथा इंडिया टेल्कम इन्फ्रा आदि जैसी छोटी दूरसंचार टावर कंपनियां शामिल हैं. संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए दूरसंचार टावरों से रेडिएशन की शक्ति पर पाबंदी लगाने से संबंधित व्यापक विस्तार योजनाओं एवं चालू विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ वर्षों में दूरसंचार टावरों की मांग के बढ़ने की संभावना है.

टावर आधारिक संरचना कंपनी की भूमिका स्थल नियोजन, स्थल अधिग्रहण एवं आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने, स्थल निर्माण एवं टावर तथा समवर्गी उपकरण चालू करने की होती है. स्थल द्वारा रेडिएशन शुरू होने के बाद, बैक अप पावर, एयर कंडीशनिंग तथा सुरक्षा जैसी समर्थन सेवाओं के प्रावधान सहित स्थल रखरखाव का कार्य टावर कंपनियों द्वारा देखा जाता है. इस समय सरकारी नीतियां पैसिब इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा एक्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनों की शेयरिंग की अनुमति देती है. पैसिब इन्फ्रास्ट्रक्चर गैर इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे टावर, एंटिना लगी संरचनाओं, बीटीएस शेल्टर, विद्युत आपूर्ति, बैटरी बैंक, इन्वर्टर्स, डीजल जेनरेटर, एयर कंडीशन आदि की होती है. एक्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम (रेडियो फ्रिक्वेंसी), बेस टावर स्टेशन, माइक्रावेव रेडियो उपस्कर, स्विच, एंटिना, सिग्नल प्रोसेसिंग तथा ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसरिसीवर आदि घटक शामिल होते हैं.

आजकल में दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति वाइस ट्रांसफर्स से अपसारी के रूप में सूचना अंतरण के बढ़ते हुए उपयोग के कारण हुई है. तदनुसार इंटरनेट एवं ब्रांडबैंड सेवाओं में व्यावसायियों की मांग बढ़ी है.

इस प्रकार उद्योग की उक्त विकास पद्धति तथा जनशक्ति की विकास अपेक्षाओं से प्रमाणित होता है कि दूरसंचार क्षेत्र में कॅरिअर अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक लगता है. यह क्षेत्र न केवल नई भर्ती पर, बल्कि अनुभवी इंजीनियरों पर भी उपयुक्त ध्यान देता है.

सरकारी क्षेत्र	साक्षेउ	दूरसंचार ऑपरेटर/ सेवा प्रदाता	दूरसंचार उपकरण निर्माता	नेटवर्क समाधान प्रदाता/ इंटीग्रेटर	ऑप्टिकल फाइनर केबल निर्माता	सेलुलर फोन
संचार एवं सूचना मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारतीय रेल	बीएसएनएल एमटीएनएल टीसीआईएल सीडॉट, आई टीआई, रेल टेल, पावर ग्रिड	रिलायंस संचार भारती दूरसंचार, टाटा इंडी-कॉम, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल आदि	नौकिया, सीमेन्स अल्काटेल, ल्यूसेंट एरिस्कॉन, मोटरोला आदि	जीटीएल/ आईबीएम एसेंसर आदि	बिरला, एरिक्सन, ऑप्टिकल, टीएन टेलकॉम, स्टारलाइट, ऑप्टिकल, फिनोलेक्स केबल्स, आरपीजी, केबल्स, हिंदुस्तान फ्यूचरिस्टिक, अक्ष, ऑप्टिफाइबर आदि	अग्रणी ब्रांड्स नौकिया, मोटो-रोला, अल्काटेल पेनासॉनिक, एरिक्सन, फिलिप्स जैनी, सैमसंग ट्रियूम, सीमेंस सोनी इरेक्शन आदि

भावी संभावनाएं :

करिअर ट्रैक अभिसामयिक हैं एवं विकास गति धीमी है. दूरसंचार कंपनियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर बहुआयामी बल दिया जाता है, जो इस संबंध में भविष्य में व्यापक अवसर देगा.

क. ओएफपी नेटवर्क, मोबाइल टावर, उपग्रह सेवाओं, बहु-प्रौद्योगिकी के उपयोग, इंटर कनेक्शन, नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क.

क्षेत्र में नेटवर्क विस्तार.

ख. ग्रामीण दूरसंचार विकास : ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएम) द्वारा समर्थित विभिन्न कार्यों के माध्यम से आधुनिक दूरसंचार सेवाओं के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ग. ब्रांडबैंड वहन क्षमता : देश में मल्टीमीडिया एवं वीडियो कन्टेंट के सृजन को कारगर बनाने के उपाय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा विषय के विकास के लिए प्रोत्साहन, ई-गवर्नेंस, ई-एजूकेशन, ई-हैल्थ आदि के लिए विषय एवं अनुप्रयोग का विकास आदि देश में इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्प्रेरक परिणाम देंगे. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की पर्याप्त एवं निम्न लागत की बैंड विड्थ उपलब्ध कराने से इंटरनेट का दैनिक परिचालन एवं उपयोग भूमि रिकॉर्ड तथा सम्पत्ति के लेन-देन, इन्कम टैक्स रिटर्न, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, जारी करने की प्रक्रिया, पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया, राशन कार्ड, बिजली एवं पानी के बिलों के भुगतान, शिक्षा एवं कृषि परामर्श, टेलीमेडिसिन, पुलिस तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों, विनियामक अनुपालन, कंपनी विधि, सुदूर अध्ययन आदि के लिए आसान हो जाएगा. इससे न केवल ब्रॉडबैंड सेवाओं की मांग बढ़ेगी, बल्कि रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे.

घ. दूरसंचार उपकरण विनिर्माण : (i) व्यापक प्रतिस्पर्धी वातावरण लाकर एक आधुनिक तथा कुशल दूरसंचार आधारिक संरचना का सृजन करने , (ii) देश के रक्षा एवं सुरक्षा हितों के संरक्षण और (iii) भारतीय कंपनियों को सार्वभौमिक संस्था बनाने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को मजबूत करने नीति संबंधी परिवर्तन एवं पहल दूरसंचार उपकरण विनिर्माण तथा रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन देंगे.

ङ. रोज़गार के नए अवसर : दूरसंचार व्यवसायियों के लिए अन्य क्षेत्रों तथा ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, एम 2 एम आदि जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर हैं. ये अवसर, आईसीटी का प्रयोग करते हुए इनमें आधारिक संरचना क्षेत्रों में जानकारी लाने से बनेंगे एवं इसके लिए सूचना व्यापक समझ, उनके प्रवाह तंत्र तथा मीडिया/सूचना उपयोग का गहरा ज्ञान रखने वाले विविध विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी. इन क्षेत्रों में सुविधासंपन्न आधारिक संस्थान जटिल एवं कठिन मामलों का विश्लेषण करने एवं उन्हें समझने के सामूहिक अवसर देगी तथा क्षेत्र के विशेषज्ञों को उपयोगी तथा कोटिपूर्ण अनुभव प्रदान करेंगी. क्षेत्र की विशेष आवश्यकता के लिए दूरसंचार नेटवर्क की डिज़ाइन, निर्माण तथा परिचालन के लिए दूरसंचार व्यवसायियों की आवश्यकता होगी.

संक्षेप में कहें तो दूरसंचार क्षेत्र में रोज़गार की प्रकृति में विविध तथा आकर्षक क्षेत्र जैसे दूरसंचार प्रणाली का हस्तन, सॉफ्टवेयर, बिक्री, विपणन, वित्त लेखाकरण आदि निहित हैं. इस क्षेत्र में वेतन भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अच्छा है. दूरसंचार उद्योग में अच्छा रोज़गार प्राप्त करना अब कोई सपना नहीं है. पर्याप्त व्यावसायिक ज्ञान रखने वाले नए तथा अनुभवी व्यक्ति इस क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं.

(लेखक दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निदेशक, टीईसी हैं. ई-मेल- asmeenaits@gmail.com)

साप्ताहिक हलचल

(09.03.2013 से 15.03.2013)

- *केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक को 14-3-2013 को मंजूरी देते हुए उसे एक कड़ी एंटी-रेप विधि बनाया. इसमें, सहमति से सैक्स करने की आयु 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष करना तथा पीछा करने जैसे अपराध के लिए कड़ा दण्ड देना शामिल है. यह विधेयक 3 फरवरी, को लागू किए गए आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश का स्थान लेगा, विधेयक में रेप शब्द को लिंग विशिष्ट अर्थ में ही रखा गया है. महिलाओं को घूरने, अनुचित छेड़खानी करने, इशारा करने तथा उन पर टीका-टिप्पणी करने जैसे बार-बार किए जाने वाले अपराध को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है. झूठी शिकायतें दर्ज करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान छोड़ दिया गया है.*
- *औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई. आई. पी.) पिछले दो महीनों में देखी गई गिरावट के विपरीत जनवरी में सामान्य 2.4% तक बढ़ा. यह सकारात्मक परिणाम विनिर्माण क्षेत्र में तथा विद्युत उत्पादन में वृद्धि के कारण है.*
- *भारतीय निर्यात में फरवरी में 4.25% बढ़ कर 26.26 बिलियन अमरीकी डालर हुआ जो यूरोप में मांग बढ़ने के कारण निरंतर दूसरे महीने सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है. आयात 2.6% बढ़ कर 41.18 बिलियन अमरीकी डालर हुआ, जिससे फरवरी 2012 में व्यापार घाटा 14.93 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर 14.92 बिलियन अमरीकी डालर हो गया.*
- *आर.बी.आई. ने रोयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ पहले करेंसी स्वेप करार पर हस्ताक्षर किए. यह करार तीन वर्ष के लिए वैध है.*
- *निर्भय क्रूज़ मिसाइल परीक्षण असफल होने से पहले 200 कि.मी. तक आंशिक रूप में सफल रहा. निर्भय अमरीकी सैन्य टोमहॉक क्रूज़ मिसेल का डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित भारतीय संस्करण है टोमहॉक की तरह ही निर्भय एक लंबी दूरी (1000 -2000 कि.मी.) का सबसोनिक (ध्वनि की गति से कम) क्रूज़ मिसाइल है. यह परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर से किया गया.*
- *देश का पहला पूर्ण महिला कर्मचारी डाकघर नई दिल्ली में स्थापित किया गया.*
- *निर्भया को मरणोपरांत रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार दिया गया.*
- *प्रसिद्ध पेंटर गणेश पाइने का कोलकत्ता में स्वर्गवास हो गया. वे 76 वर्ष के थे.*
- *चीन की संसद ने जी जिनपिंग को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया.*

भारत में धनाढ्य वर्ग को कर के व्यापक दायरे में लाना

— प्रशांत प्रकाश

लगभग 16.5 प्रतिशत के कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के साथ जी-20 देशों में भारत का कर आधार सबसे सीमित है. इस बात के मद्देनजर कि भारत का कर-सकल घरेलू उत्पाद समान बराबरी के विकासशील देशों के मुकाबले काफी कम है, केन्द्रीय बजट-2014 में इसे संबोधित करने का प्रयास किया गया है. बजट 2013-14 में इस संदर्भ में लाए गए प्रस्तावों में ऐसा ही एक प्रस्ताव है, जिसने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया है. इस प्रस्ताव के अनुसार एक करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक कर योग्य आय वाले लोगों पर (पहले से जारी) 30 प्रतिशत की अधिकतम कर दर पर 10 प्रतिशत का अधिप्रभार लगाया गया है. तीन प्रतिशत के शिक्षा उपकर के साथ यह अधिप्रभार धनाढ्य लोगों के पूर्ण प्रभावी आयकर को 33.99 बना देगा.

विकासात्मक गतिविधियों के लिए निधियन की बढ़ती ज़रूरतों और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम द्वारा कड़ी ऋण सीमा तय करने से भारत सरकार को इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता हुई. इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्रिटेन (40 से 50 प्रतिशत), फ्रांस (40 से 45 प्रतिशत), जर्मनी (42 से 45 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (35 से 38 प्रतिशत) और मैक्सिको (28 से 30 प्रतिशत) में भी अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में वृद्धि की गई है.

इससे पहले बजट पूर्व चर्चाओं में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के कुछ वर्गों ने आशंका जताई थी कि ऐसा करने से उद्यमिता हतोत्साहित होगी और इससे सिंगापुर जैसे कम कर वाले स्थानों में व्यावसायिक अंतरण होगा. यह भी कहा गया कि इससे भारत में निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. कुछ विकसित देशों में कर निर्वासन वास्तविकता है लेकिन ऐसा बेहद उच्च कर दरों वाले देशों में होता है. दूसरी ओर 33.99 प्रतिशत की अधिकतम प्रभावी व्यक्तिगत की कर दर के साथ भारत का आयकर स्तर अभी भी जी-20 के औसत 37 प्रतिशत के औसत से कम है और विकसित देशों (जी-20 में शामिल) के 42.2 प्रतिशत के औसत कर-दर से तो काफी कम है. वर्ष 2011-12 के लिए जमा की गई वार्षिक आय कर रिटर्न से प्राप्त आंकड़ों ने यह निर्दिष्ट किया कि अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर में वृद्धि से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है जो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य तथा पोषण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय अपेक्षित स्तर से काफी कम है.

हालांकि चिंता का एक अन्य विषय जिसे अधिकतम कर दर बहस के बीच भुलाया नहीं जाना चाहिए वो है भारत में कर चुकाने में कमी. यह इस बात से साबित होता है कि भारत के कुल कर राजस्व में से केवल 12.2 प्रतिशत हिस्सा व्यक्तिगत आयकर का है, जबकि जी-20 देशों का औसत 26.7 प्रतिशत का है और अमेरिका में यह प्रतिशत 46.2 प्रतिशत है. इससे पहले भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी की भारत में आयकर अनुपालन स्तर 50 प्रतिशत से काफी कम है. हालांकि हमारे नीति निर्धारकों ने स्वैच्छिक रूप से कर चुकाने के लिए लोगों के आगे आने के लिए कम कर की पद्धति भी अपनाई लेकिन हालिया व्यय और निवेश आंकड़ों से यह बात सामने आती है कि इससे भी लोग अपने कर रिटर्न भरने के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आ रहे हैं. पिछले वर्ष दिसंबर में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने यह प्रकट किया कि आकलन वर्ष 2012.13 में पेशेवरों और कंपनियों सहित केवल 1.462 मिलियन निर्धारितियों ने 10 लाख रुपए से अधिक की कर योग्य आय घोषित की जबकि आयकर विभाग के पास यह सूचना है कि 3.38 मिलियन लोगों ने बचत बैंक खाते में 10 लाख अथवा इससे अधिक तक की नकद जमा की है, 1.6 मिलियन लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड से दो लाख रुपए अथवा इससे अधिक का भुगतान किया है और 1.19 मिलियन से ज्यादा लोगों ने 30 लाख अथवा इससे अधिक राशि की संपत्ति की खरीद-बिक्री करने का निर्णय लिया. इससे स्पष्ट होता है कि कर दर में कमी करने मात्र से लोगों द्वारा कर चुकौती में वृद्धि नहीं होगी.

कम अनुपालन स्तर और धनाढ्य वर्ग को कर के व्यापक दायरे से संबधित मुद्दे के अलावा अन्य बात जिसपर ध्यान देने की जरूरत है वो है संपत्ति कर पर कम ध्यान देना. भारत में संपत्ति कर को बेहद सीमित रूप में परिभाषित किया गया है और यह प्रगतिगामी नहीं है. योजना आयोग के मुताबिक पांच प्रतिशत परिवारों के पास भारत में कुल संपत्ति का 38 प्रतिशत हिस्सा है. फोर्ब्स सूची के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 2003 में 13 थी जो 2011 में बढ़कर 55 तक पहुंच गई. क्रेडिट सुईस वेल्थ रिपोर्ट-2012 के अनुसार 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ भारत में 1,58,000 अरबपति हैं. अन्य वैश्विक संपत्ति रिपोर्टों में भी इसी प्रकार की बातें हैं. हालांकि 2011.12 में भारत का संपत्ति कर संग्रहण मात्र 1,000 करोड़ रुपए था.

कराधान के लिए आय के विभिन्न रूपों के साथ अलग-अलग तरह का व्यवहार चिंता का एक और विषय है. इस वर्ग में पूंजी लाभ कर पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि विकसित देशों में कई लोग पूंजी लाभ से धनी हुए हैं. पूंजी लाभ कर वह कर है जिसका भुगतान किसी धारित संपत्ति/पूंजी के मूल्य में बढ़ोतरी पर चुकाना होता है. यह संपत्ति अचल अथवा वित्तीय हो सकती है. भारत में कर से बचने के लिए अचल संपत्ति पर पूंजी लाभ की काफी कम जानकारी दी जाती है. वित्त मंत्री ने भी अपने 2013-14 बजट भाषण में इसका सही उल्लेख किया है. वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजी लाभ के संदर्भ में भारत (तुर्की की तरह) जी-20 के उन कुछ देशों में शुमार है जो व्यक्तियों को होल्डिंग अवधि के मानदंड के आधार पर विशिष्ट रूप से पूंजी लाभ कर से छूट देता है.

अधिकतम आयकर दर का सामान्य स्तर, आयकर चुकाने के स्तर में कमी, संपत्ति कर स्तर में कमी और उदार पूंजी लाभ कर व्यवस्था के परिणामस्वरूप भारत में कुल कर (2011-12 में) मात्र 37 प्रतिशत के प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी के साथ इसका स्तर काफी कम है. कुल कर राजस्व में से लगभग 63 फीसदी की अप्रत्यक्ष कर हिस्सेदारी यह दर्शाती है कि भारतीय कर व्यवस्था तुलनात्मक रूप से गरीबों के प्रति ठीक नहीं क्योंकि वे उपभोग की बहुत प्रकार की वस्तुओं पर कर से नहीं बच सकते.

इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में कम कर दरों और उच्च कर असमानता के मद्देनजर अति धनी आय वर्ग में आने वालों पर अधिप्रभार लगाने का कदम प्रगतिगामी है. हालांकि इसके साथ ही कर चुकाने से बचने वाले लोगों के संबंध में भी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा अन्य आय के साथ संपत्ति पर कर को और बेहतर बनाने तथा कर पूंजी लाभ के संदर्भ में भी अधिक प्रयास किए जाने चाहिए. इससे अति धनी लोग वास्तव में कर के दायरे में आएंगे. धनी लोगों पर अधिप्रभार सही दिशा में उठाया गया कदम है पर सरकार को कर आधार बढ़ाने और भारत के कर ढांचे को अधिक प्रगतिकात्मक बनाने के लिए गति बढ़ानी होगी.

(लेखक नई दिल्ली स्थित नीति शोध और एडवोकेसी संगठन सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) में कार्यरत हैं. इनसे prashant@cbgaindia.org पर संपर्क किया जा सकता है.)

राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान

(भूमि विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त समिति)

एनआईओटी कैम्पस, वेलाचेरी-ताम्बरम मेन रोड, पल्लीकरनाई, चेन्नै-600 100

फोन: 91-44-66783910/66783300, फैक्स: 91-44-66783308

विज्ञापन संख्या एनआईओटी/ईएंडपी/ 01 (रेग्युलर)/2013

राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) चेन्नै भारत सरकार के भूमि विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक तकनीकी संगठन है, जो विभिन्न मिशन मोड लक्षित गतिविधियों के अंतर्गत समुद्री इंजीनियरी और समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए काम कर रहा है. संस्थान ने समुद्री ऊर्जा और ताजा जल, गहरे समुद्र संबंधी प्रौद्योगिकियां और समुद्री खनन, तटीय एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी, समुद्री पर्यवेक्षण प्रणालियां, सबमर्सिबल्स और गैस हाइड्रेट्स, मरीन सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा द्वीपों से सम्बद्ध समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं. परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अंजाम देने के वास्ते संस्थान को प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक-एफ (मैकेनिकल/नौसैन्य वास्तुशिल्प/सम्बद्ध शाखा) की आवश्यकता है. बाद में यदि आवश्यक हुआ तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से स्थाई आमेलन कर सकते हैं. इच्छुक और पात्र भारतीय नागरिकों से केवल निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित हैं, जो पिछले 5 वर्षों के एपीएआर की साक्ष्यांकित प्रतियों और अनुशंसा पत्रों के साथ उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए.

क्र. सं.	पद का नाम और पे बैंड+जीपी	अपेक्षाएं	पदों की संख्या
1	वैज्ञानिक 'एफ' पीबी-4 (37400-67000)+जीपी 8900/-	आयु: 56 वर्ष से अधिक न हो **अनिवार्य योग्यताएं:** मैकेनिकल/नौसैनिक वास्तुशिल्प/ इंजीनियरी की सम्बद्ध शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत अंकों से कम नहीं) में स्नातक उपाधि या समकक्ष योग्यता के साथ पीबी-4 रु. 37400-67000+जीपी 8700/- के वेतनमान में 5 वर्ष की अथवा पीबी-3, रु. 15600-39100+जीपी 7600/- के वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूरी की हो. **वांछनीय:** इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सम्बद्ध क्षेत्र में पीएच.डी **कार्यापेक्षाएं:** i) समुद्री इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहु विषयी परियोजनाओं में इंजीनियरों की टीम का नेतृत्व करना ii) परियोजना प्रबंधन -तकनीकी और वित्तीय	01

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति शुरू में दो वर्ष के लिए की जाएगी और इसे एक अन्य वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है. वेतन और भत्ते आदि का निर्धारण कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के ओएम संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन-2) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार किया जाएगा.

निर्धारित आवेदन प्रपत्र के लिए एनआईओटी वेबसाइट **http://www.niot.res.in/recruit/cv/advertisement.phb** देखें.

आवेदन **08 अप्रैल, 2013** तक डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, वेलाचेरी, वेलाचेरी-ताम्बरम मेन रोड, पल्लीकरनाई, चेन्नै-600 100, भारत के पते पर पहुंच जाने चाहिए.

निदेशक

रो. स. 51/8

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110608

प्रवेश सूचना संख्या 3/2013

एम्स में एम.एससी/एम.बायोटेक्नोलॉजी और बी.एससी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा. अगस्त, 2013 सत्र

अगस्त, 2013 से प्रारंभ होने वाले सत्र के लिए एम्स में एम.एससी/एम.बायोटेक्नोलोजी और बी.एससी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र में केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन आमंत्रित हैं. पात्रता मानदंड और विभिन्न विभागों/विषयों में उपलब्ध सीटों की जानकारी के लिए कृपया एम्स वेबसाइट **www.aiimsexams.org** देखें. सूचना पुस्तिका और आवेदन प्रपत्र के पंजीकरण की सुविधा **25.03.2013** से उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

प्रवेश परीक्षा की तारीख:

1. **एम.एससी पाठ्यक्रम :** -14.07.2013 (रविवार) केवल दिल्ली में;
2. **एम.बायोटेक्नोलॉजी :** - 20.07.2013 (शनिवार) केवल दिल्ली में;
3. **एम.एससी नर्सिंग :** - 29.06.2013 (शनिवार) केवल दिल्ली में;
4. **बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग** (एम्स जैसे 6 नए संस्थानों सहित) 16.06.2013 (रविवार) भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, दिल्ली, जोधपुर, पटना, रायपुर और तिरुवनंतपुरम.
5. **बी.एससी (ऑनर्स) पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम:**- 8.06.2013 (शनिवार) केवल दिल्ली में 6. **बी.एससी नर्सिंग (पोस्ट प्रमाणपत्र):** 22.06.2013 (शनिवार) केवल दिल्ली में.

आवेदन प्रक्रिया: उम्मीदवार ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकता/सकती हैं. इसके लिए वेबसाइट **www.aiimsexams.org** पर जाएं और सूचना पुस्तिका, हेल्प मैनुअल और अन्य ब्यौरा ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उनमें वर्णित अनुदेशों का पालन करें. आवेदन शुल्क **रु. 1000/- (अजा/अजजा उम्मीदवारों के मामले में रुपए 800/-)** है. उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा चालान फार्म (ऑनलाइन आवेदन करते समय इंटरनेट से डाउनलोड करें.) के जरिए **भारतीय स्टेट बैंक** की किसी भी शाखा में कर सकता है. ट्रांजेक्शन/प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा बैंक को किया जाएगा. आवेदन शुल्क अप्रतिदेय है. कृपया नोट करें कि:-

1. विदेशी नागरिकों को आवेदन (पंजीकरण स्लिप की डाउनलोड की गई प्रति) की हार्ड कापी भी राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजनी होगी.
2. पंजीकरण की अंतिम तारीख यानी **25.04.2013** को आवेदन करने वाले उम्मीदवार यदि चालान मोड से शुल्क जमा करने में असमर्थ हों तो उन्हें अगले दो कार्य दिवसों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में शुल्क अवश्य जमा करना होगा.
3. उपरोक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब निर्दिष्ट बैंक की सम्बद्ध शाखा से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि शुल्क का भुगतान एम्स की खाता धारक शाखा को कर दिया गया है.
4. अधूरे आवेदन अथवा आवेदन शुल्क के भुगतान की पुष्टि रहित आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.

एम्स जैसे 6 संस्थानों के बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश

(भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश)

i) एम्स, नई दिल्ली के अलावा एम्स जैसे 6 संस्थानों में बी.एससी (आनर्स) नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किए जाने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन में तत्संबंधी वरीयता का उल्लेख करना चाहिए. किंतु सीटों का आवंटन योग्यता एवं उम्मीदवारों की पसंद के आधार पर किया जाएगा.

ii) एम्स जैसे इन 6 संस्थानों में बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग पाठ्यक्रम और उनमें प्रवेश के बारे में किसी प्रकार की कोई देयता एम्स-नई दिल्ली की नहीं होगी.

महत्वपूर्ण तारीखें:

1. **www.aiimsexams.org** पर आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण -	**25.03.2013 से 25.04.2013 तक**
2. ऑनलाइन आवेदन करने और पंजीकरण बंद होने की अंतिम तारीख -	**25.04.2013 (शाम पांच बजे)**

सहायक परीक्षा नियंत्रक

रो. स. 51/75

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल-एसडब्ल्यू 1/4100/2012-14 यू. (सी.)-107/2012-14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 23/25.03.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 21.03.2013

सिविल सेवा (मुख्य)...

(पृष्ठ 1 का शेष)

- स्क्रीनिंग परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा कहा जाने लगा, जिसमें वैकल्पिक और सामान्य अध्ययन का एक-एक प्रश्नपत्र शामिल था.

सतीश चंद्र समिति: इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1993 में निबंध प्रश्नपत्र को फिर से परीक्षा में शामिल किया गया तथा साक्षात्कार के अंक 250 से बढ़ाकर 300 किए गए.

अलघ समिति: इसका गठन 2000 में हुआ. समिति ने 2002 में अपनी सिफारिशें सौंपी. इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया.

मौजूदा प्रणाली की जांच: परीक्षा के संदर्भ में कोठारी रिपोर्ट की पद्धति, जिसमें समय-समय पर मामूली बदलाव किए गए, उसके कुछ अनचाहे परिणाम सामने आए. कुल मिलाकर यह उम्मीदवार के तीन मूलभूत कौशल को जांचने में असफल रही.

- संज्ञानात्मक कौशल. याद रखना और उसे प्रदर्शित करना.
- विश्लेषणात्मक कौशल. किसी मुद्दे का विश्लेषण करना और उस पर अपना दृष्टिकोण देना.
- भाषा संबंधी कौशल. भाषा पर पकड़.

हालांकि 2012 तक, परीक्षा में 1200 अंक के वैकल्पिक प्रश्नपत्रों (दो) को ज्यादा अहमियत दी गई, जबकि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का प्रश्नपत्र केवल 600 अंक का था. परिणामस्वरूप विज्ञान (जिसमें ज्यादा अंक हासिल करने की गुंजाइश रहती है) संबंधी वैकल्पिक प्रश्नपत्र को चुनने या परंपरागत प्रकार के अन्य वैकल्पिक विषयों को रटने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार बड़ी संख्या में सिविल सेवा में प्रवेश पा लेते थे. हालांकि इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि वैकल्पिक प्रश्नपत्र में अच्छा प्रदर्शन, उम्मीदवारों की प्रतिभा को दर्शाता है. फिर भी यह उसे एक सक्षम सिविल सेवक नहीं बनाता.

इसलिए हाल में यह समझा गया कि सिविल सेवा का मौजूदा प्रारूप संभवतः प्रशासनिक सेवा के लिए सबसे उत्तम उम्मीदवारों का चयन नहीं करता. यह निश्चित रूप से काफी दुखद है कि उपयुक्त अभिरुचि नहीं रखने वाले सिविल सेवकों का चयन, नौकरशाही के खराब प्रदर्शन के कारणों में से एक है. इसे परीक्षा की पद्धति में उचित बदलाव करके सही किया जा सकता है.

प्राथमिक परीक्षा, 2011 में बदलाव: धीर-धीरे बदलावों की शुरूआत करने की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग ने प्रोफेसर एस.के.खन्ना समिति की सिफारिश के आधार पर सबसे पहले 2011 में प्राथमिक परीक्षा में परिवर्तन किए. इस बदलाव का उद्देश्य सिविल सेवा के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखने वाले उम्मीदवारों का चयन करना था. इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्राथमिक परीक्षा से सभी उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक प्रश्नपत्र को समाप्त किया गया और सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र को बरकरार रखा गया. सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र को दो हिस्सों में बांटा गया, जिसमें मौजूदा मुद्दों और सुव्यवस्था, पर्यावरण आदि जैसी चीज़ों पर ज्यादा ज़ोर दिया गया. सामान्य अध्ययन के दूसरे प्रश्नपत्र में समझ, अंग्रेज़ी समझ, तर्क संबंधी और संख्यात्मक क्षमता परीक्षा को शामिल किया गया. इसे एक लोकप्रिय नाम दिया गया है (यूपीएससी द्वारा नहीं) सीएसएटी यानी सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा. आश्चर्य की बात है कि 2011 की मुख्य परीक्षा में मिलता-जुलता कोई भी परिवर्तन नहीं गया. लेकिन यह जल्द ही बदलाव की प्रक्रिया में थी और आखिरकार प्रो. अरूण. एस. निगावेकर समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे इस साल प्रस्तुत किया गया. प्राथमिक परीक्षा 2011 जैसी ही है. लिखित (मुख्य) परीक्षा में बदलाव की मुख्य विशेषताएं और अंकों का विभाजन इस प्रकार है:

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2013 में अंकों का आवंटन

प्रश्नपत्र	क्षेत्र/विषय	अधिकतम अंक (मौजूदा)	अधिकतम अंक (पिछले)
1	भाग-1 निबंध भाग-2 अंग्रेज़ी समझ और अंग्रेज़ी में सारांश लेखन (अनिवार्य)	200+100	200 (केवल पिछले)
2	सामान्य अध्ययन-I (भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल तथा समाज) (अनिवार्य)	250	600 अंक (पहले यह चार प्रश्नपत्र 300-300 अंक के दो प्रश्नपत्र के रूप में होते थे)
3	सामान्य अध्ययन-II (सुव्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध) (अनिवार्य)	250	
4	सामान्य अध्ययन-III (प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण ,सुरक्षा और आपदा प्रबंधन) (अनिवार्य)	250	
5	सामान्य अध्ययन-IV (नैतिक मूल्य, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि)	250	
6	वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र-1*	250	300
7	वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र-2* लिखित योग व्यक्तित्व परीक्षा(साक्षात्कार) कुल योग	250 1800 275 2075	300 2000 300 2300

***महत्वपूर्ण:** उम्मीदवारों को पहले जैसे दो विषयों की तुलना में अब केवल एक विषय चुनना है. वैकल्पिक विषय में 250-250 अंक (कुल 500 अंक) के दो प्रश्नपत्र होंगे.

विश्लेषणात्मक दृष्टि से नया पाठ्यक्रम: मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में कई प्रमुख बदलाव हुए हैं. 1000 अंक का करके इसे काफी अहम बना ('किंग मेकर') दिया गया है. लेकिन सामान्य अध्ययन का महत्व, मुख्य परीक्षा का केवल एक भाग होने से भी कई ज्यादा अधिक है. निबंध प्रश्नपत्र (200 अंक) और साक्षात्कार (275 अंक) में इसकी परोक्ष भूमिका है. इसलिए अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो सामान्य अध्ययन में निबंध प्रश्नपत्र के साथ-साथ साक्षात्कार परीक्षा भी शामिल है. इस तरह से देखें तो सामान्य अध्ययन की परीक्षा की तैयारी काफी बड़ी ज़रूर हो गई है लेकिन इसमें अच्छे-खासे लाभ की आशा भी है . कोई भी उम्मीदवार सामान्य अध्ययन में बहुत अच्छी पकड़ रखे बिना शीर्ष रैंक में आने की सोच भी नहीं सकता.

पूर्व में वैकल्पिक प्रश्नपत्र के जरिए उम्मीदवार की सफलता तय होने वाले ढर्रे में यह निश्चित रूप से बदलाव लाएगा. अब वैकल्पिक प्रश्नपत्र, उम्मीदवार की सफलता की राह में मात्र एक सहयोगी की भूमिका निभाएगा. यह सही में सिविल सेवा में उम्मीदवार की योग्यता परखने का एक बेहतर तरीका है. परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले वैकल्पिक प्रश्नपत्र से रटने तथा कम समय में कोचिंग लेकर तैयारी करने संबंधी पद्धति को बढ़ावा मिला था जिसका सिविल सेवा में बहुत कम महत्व होता था.

सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटे जाने के दो मुख्य अर्थ हैं. पहला इसमें दीर्घकालिक तैयारी की आवश्यकता है. इसे काफी पहले से ही शुरू करना होगा और इसे एक निरंतर प्रकिया के रूप में जारी रखना होगा. उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला प्रारंभ में ही लेना होगा और अपने स्कूली दिनों से ही सामान्य ज्ञान के मुद्दों पर ध्यान देना होगा. 3-4 महीने के भीतर कोचिंग की मदद से रटने की मौजूदा पद्धति अब बेकार साबित होगी. इसके अतिरिक्त मौजूदा पुस्तकें और प्रशिक्षण संबंधी सामग्री मुख्य रूप से व्यर्थ और अप्रचलित रहेंगी. सामान्य अध्ययन के नए पाठ्यक्रम से बाज़ार में एक खालीपन सा आ गया है. इसे केवल गुणवत्ता आधारित तैयारी से भरा जा सकता है जो एक गंभीर चुनौती है.

सभी के लिए समान अवसर: अनिवार्य प्रश्नपत्रों का महत्व बढ़ने से नई पद्धति में किसी भी शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर हैं. लेकिन इसमें एक समस्या है. सामान्य अध्ययन के नए पाठ्यक्रम की पर्याप्त स्रोत सामग्री' स्कूलों और कॉलेजों से प्राप्त गुणवत्ता आधारित शिक्षा आदि जैसी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं. ग्रामीण भारत में उम्मीदवार कैसे इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं निश्चित रूप से ग्रामीण भारत में अच्छी और गुणवत्ता आधारित सामग्री' मार्गदर्शन और शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. इसका मतलब क्या शहरों में शिक्षा हासिल करने वाले सौभाग्यशाली उम्मीदवार ही इसका फायदा ले जाएंगे यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है.

नए पाठ्यक्रम की अन्य कमियां: यह मानते हुए कि नई पद्धति मौजूदा पद्धति से बेहतर है लेकिन यह पूरी तरह त्रुटि रहित नहीं है. इसकी मुख्य कमियां इस प्रकार हैं:

- वर्तमान ढांचे में एक व्यक्ति को परीक्षा (मुख्य) में क्षेत्रीय भाषा में लिखने का मौका सिर्फतभी मिलेगा यदि उस भाषा के कम से कम 25 उम्मीदवार हों और स्नातक स्तर पर वह भाषा उसका परीक्षा का माध्यम रही हो. उदाहरण के तौर पर मुख्य परीक्षा असमिया भाषा में देने के लिए उम्मीदवार को अवसर तभी मिलेगा जब न्यूनतम 25 उम्मीदवार असमिया भाषा को परीक्षा में माध्यम के रूप में चुनते हैं और साथ ही सबंधित भाषा स्नातक स्तर पर उसकी परीक्षा का माध्यम रही हो. इससे क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर का दायरा कम हुआ है और अंग्रेज़ी-हिंदी को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है.
- यह समझना मुश्किल है कि साक्षात्कार के अंक से केवल 25 अंक घटाने का क्या मतलब है. इसे पहले की तरह 300 अंक पर भी रखा जा सकता था.
- जब निबंध प्रश्नपत्र पहले से मौजूद है तो अंग्रेजी समझ और अंग्रेज़ी सार लेखन शुरू करने की क्या ज़रूरत थी. इसकी जगह मैं सिविल सेवा में क्यों आना चाहता हूं या ''सिविल सेवक के रूप में' मैं क्या करना चाहूंगा'' जैसा एक रोचक प्रश्नपत्र शुरू किया जाना चाहिए था.
- पहले लिखित परीक्षा में जैसे उम्मीदवार विकल्प के रूप में दो विषय लेता था अब वर्तमान बदलावों के अनुसार उम्मीदवार को केवल एक ही विषय चुनना होगा. पुराना पाठ्यक्रम वैसा ही है लेकिन अंकों में काफी कटौती की गई है. इसका तात्पर्य यह कि उम्मीदवार को बिना कुछ खास फायदे की उम्मीद रखते हुए उस विषय में उतनी ही मेहनत करनी होगी. वैकल्पिक प्रश्नपत्र के अंक कम किए जाने पर उसके पाठ्यक्रम में भी तर्कसंगत बदलाव किए जाने चाहिए थे.
- यूपीएससी ने बदलावों की अधिसूचना काफी देरी से जारी की है. क्या उम्मीदवारों को 2013 की परीक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा.

अंततः सिविल सेवा परीक्षा के निश्चित लक्ष्यों को हासिल करने में नए पाठ्यक्रम के असर की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. नए पाठ्यक्रम को आंकने का सबसे बेहरत तरीका है कि परीक्षा में पूछे गए सवालों, यूपीएससी द्वारा उसके मूल्यांकन और अंत में चयनित उम्मीदवारों के संयोजन में बदलाव को देखा जाए.

(श्रृंखला जारी रहेगी)

(लेखक एक शिक्षाविद् हैं और सिविल सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सिविल सेवा संबंधी विषयों पर लिखते हैं) ई.मेल पता: (sb_singh2003@yahoo.com)

टाटा मेमोरियल अस्पताल

(टाटा मेमोरियल सेंटर)
परेल, मुम्बई - 400012
विज्ञापन संख्या 14/2013
अजा/अजजा/अपिव श्रेणियों के लिए विशेष भर्ती अभियान

टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) द्वारा निम्नांकित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं:

क्र. सं	पद	पदों की संख्या		
		अजा	अजजा	अपिव
01	वैज्ञानिक सहायक (ख) (मोलिक्यूलर प्रयोगशाला)	-	-	01
02	वैज्ञानिक सहायक (ख) (सीएसएसडी)	01	-	02
03	वैज्ञानिक सहायक (ख) (आपातकालीन प्रयोगशाला)	01	-	-
04	तकनीशियन 'ग' (आईसीयू)	-	01	-
05	तकनीशियन 'क' (इलेक्ट्रिकल)	-	-	01
06	तकनीशियन 'क' (टेलर)	-	01	-
07	सहायक सुरक्षा अधिकारी (केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित)	01	-	01
08	नर्स 'क'	-	01	-
09	ट्रायल को-आर्डिनेटर	-	01	-
10	ड्राइवर (भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित)	-	01	01

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **28.03.2013** को शाम 5.30 बजे तक है. विभिन्न पदों के लिए अनिवार्य योग्यताओं और अनुभव, सेवा शर्तों और परिलब्धियों, आवेदन कैसे करें आदि के ब्यौरे के लिए हमारी वेबसाइट **http://tmc.gov.in** देखें. आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा. **रो. स. 51/20**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार के अधीन)
कुरुक्षेत्र-136119
विज्ञापन सं. 5/2013
संकाय भर्ती

संस्थान के विभिन्न विभागों में **प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर** के पदों के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं. निर्धारित आवेदन प्रारूप तथा अन्य विवरण संस्थान की वेबसाइट **www.nitkkr.ac.in** से **18-03-2013** से डाउनलोड कर सकते हैं. सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होगा. आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख **26-04-2013** है. डाक में विलंब या किसी अन्य कारण से अंतिम तारीख से बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा.

प्रभारी रजिस्ट्रार
रो.स. 51/104

रोज़गार समाचार

ईरा जोशी
अतिरिक्त महानिदेशक

अनुराग मिश्रा
निदेशक

डॉ. ममता रानी
संपादक

नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)

इरशाद अली
संपादक (उर्दू)

मारूफ आलम
संपादक

केपी मणिलाल
लेखा अधिकारी

सूर्यकांत शर्मा
व्यापार व्यवस्थापक

विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV
तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल : **newsedit@gmail.com**
ग्राम : **'Rozgar' New Delhi**

संपादकीय	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी-21 व 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक-IV, लेवल-5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक-डॉ. ममता रानी